न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रार्थनापत्र संख्या :– 09/2022

1. परमिन्द्रकौर

.....प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 27.01.2022

प्रार्थीया ने प्रा0पत्र पेश किया है कि चक 2 केडब्ल्युएम 'बी' के मु0नं0 77/13 व 77/14 की 14.16 बीघा कमाण्ड जमीन में उसके पति बूटासिंह का 3/10 हिस्सा बनता है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से बूटासिंह का नाम डिलीट हो गया है। इसके अलावा प्रार्थीया की ननद का हिस्सा भी गलत दर्ज किया गया है।

इस संबंध में तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट तल्ब की गई। रिपोर्ट के मुताबिक विवादित जमीन चक 2 केडब्ल्युएम का मु0नं0 77/13 का किला नं0 1 ता 8, 14 ता 17 व 25/1 तथा मु0नं0 77/17 का किला नं0 5 व 6 हरबंश कौर पत्नी मोटाराम जाति जटसिख के नाम दर्ज थी। इंतकाल सं0 91 दिनांक 20.2.16 के जरिये यह जमीन हरबंश कौर के वारिसान के नाम निम्न तरीके से दर्ज हुई:

1 अनूपसिंह, कलवंतसिंह उर्फ बूटासिंह, गुरभागसिंह उर्फ इकबालसिंह पि. मोटाराम उर्फ सुखदेवसिंह बहिब 9/10 हि0

2 गुरविन्द्रकौर उर्फ चरणजीत कौर, गुरप्रीतकौर उर्फ वीरपालकौर पुत्रियां मोटाराम उर्फ सुखदेवसिंह 1/9 हि0

तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक इस इंतकाल में यह गलती हुई कि बहनों का हिस्सा (क्रम सं0 2) 1/9 दर्ज कर दिया गया जबकि वारिसान प्रमाणपत्र के आधार पर उनका हिस्सा 1/10 बनता था।

दूसरी गलती यह हुई कि ऑनलाईन रिकॉर्ड दर्ज करते समय कलवंतसिंह उर्फ बूटासिंह का नाम दर्ज नहीं किया गया और अनूपसिंह की जगह अनूपसिंह उर्फ बूटासिंह दर्ज हो गया।

अदालत द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट इंतकाल सं0 91 जमाबंदी संवत् 2075–78 व 71–74 का अवलोकन किया गया। उक्त साक्ष्यों की बुनियाद पर अदालत को यह समाधान है कि विवादित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारों के नाम और हिस्से में निम्न तरीके से शुद्धि किया जाना उचित है।

अनूपसिंह, कलवंतसिंह उर्फ बूटासिंह, गुरभागसिंह उर्फ इकबालसिंह पि. मोटाराम उर्फ सुखदेवसिंह जटसिख 9/[illegible] हि0 बहिब गु[illegible] चरणजीतकौर, गुरप्रीत कौर उर्फ वीरपालकौर पुत्रियां मोटाराम उर्फ सुखदेवसि[illegible] बहिब 1/10 हि0

अतः धारा 136 एलआरए[illegible] शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खा[illegible]वाला को आदेशित [illegible] जाता है कि उक्त शुद्धि आदेश के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh
Gill
Date: 2022.02.10 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested